

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय  
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क्र. प्रशा./महिला उत्पीड़न/ई-1/फा.21/का.आ- 167

दिनांक:- 15/9/23

//कार्यालय आदेश//

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 3 (ग) के अनुसार इस कार्यालय में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु शिकायत समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1	सुश्री सरिता कुमारी गुप्ता, वरि. उप महालेखाकार (निधि)	अध्यक्षा
2	सुश्री शोभा सतीश, प्रभारी वरि. लेखा अधिकारी	सदस्य
3	श्री अशोक चिरगैया, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
4	श्रीमती सीमा कुमारी, सहायक लेखा अधिकारी	सदस्य

(प्राधिकार:- प्रधान महालेखाकार महोदया के आदेश दिनांक 15-09-2023)

हस्ता/-

वरि.उप महालेखाकार/प्रशासन

क्र. प्रशा./महिला उत्पीड़न/ई-1/फा.21/एस.टी.आर-II/1822

दिनांक:- 15/9/23

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-द्वितीय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
3. वरि. उप महालेखाकार (निधि) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-द्वितीय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
4. उप महालेखाकार (प्रशासन ) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
5. उप महालेखाकार (प्रशासन) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-द्वितीय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
6. सुश्री सरिता कुमारी गुप्ता, वरि. उप महालेखाकार (निधि)
7. श्री अशोक चिरगैया, वरिष्ठ लेखा अधिकारी
8. सुश्री सुश्री शोभा सतीश, प्रभारी वरि. लेखा अधिकारी
9. श्रीमती सीमा कुमारी, सहायक लेखा अधिकारी
10. वरि. लेखा अधिकारी/निधि विविध-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- द्वितीय, शाखा भोपाल, 53 अरेरा हिल्स होशंगाबाद रोड भोपाल
12. वरि. लेखा अधिकारी/ई.डी.पी., कृपया इस कार्यालय की महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी गठित समिति का विवरण इस कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

387528/2023

- 13 प्रभारी वरि. लेखा अधिकारी/गोपनीय अनुभाग
- 14 सम्बंधित सीट
- 15 गार्ड फाईल

वरि. लेखा अधिकारी/प्रशासन